

विशेषी सं. 01 के काम मुकाम,
 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत
 विशेषी सं. 06 से 08 की ओर से
 श्री अतराफ ने वकालतनामा पेश
 किया जो शामिल मिल्य है।
 पठावली चारों पत्रों, तारीख
 21/04/25 की पेश करें।

~~अथर्व~~
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) बाबूमेर

21/04/25

पठावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारण उपर
 विशेषीण पत्रों पेश नहीं करना चाहते हैं
 विशेषीण अधिवक्ता को एका आवेदन
 स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
 अतः आपली सहमति से उपरिणत का
 प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सीपीसी
 व आदेश 22 नियम 3 व 4 सहपरिणत धारा
 15। सीपीसी वरुदा पुनः बरामद करने का
 सं 29/2024 (107/12) अथर्व प्रैवी खारिफ दिनांक
 28.01.2025 व शर्ही संख्या 01 जगन्नाथराम व
 विशेषी सं. 01 गोधिराफ के काम मुकाम की
 रैडर पर लेने का स्वीकार किया जाय है।
 मूल वाद सं. 29/2024 (107/2012) पुनः बरामद
 होकर पुनः नम्बर पर दूर है।
 पठावली केवल उतना होकर वापिस करनी है।

~~अथर्व~~
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) बाबूमेर
 21/04/25